



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई, 2020-श्रावण 9, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

मैं, शपथपूर्वक सत्य कथन करती हूँ, यह कि शादी से पहले मैं अपना नाम रूचि शर्मा पिता श्री रामबिहारी शर्मा, पता-अशोक नगर, भिण्ड लिखती थी. यह कि मेरी शादी श्री धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी, निवासी फूफ, भिण्ड मध्यप्रदेश के साथ सम्पन्न हुई. तब से मैं अपना नाम रूचि त्रिपाठी पत्नी धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी लिखने लगी हूँ. यह कि रूचि शर्मा और रूचि त्रिपाठी दोनों ही नाम मेरे हैं. उक्त नाम की दो अलग-अलग महिलाएं नहीं हैं. यह है भविष्य में मुझे रूचि त्रिपाठी पत्नी धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी के नाम से ही जाना जाये.

पुराना नाम :

(रूचि शर्मा)

पिता-श्री रामबिहारी शर्मा.

(128-बी.)

नया नाम :

(रूचि त्रिपाठी)

पत्नी-धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी,

निवासी-फूफ, भिण्ड (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पंजीकृत नाम जन्म प्रमाण-पत्र, शिक्षण संस्थान एवं आधार कार्ड में अरिष्ट जैन (Arisht Jain) पिता श्री पंकज जैन, निवासी-168, एम.आर. 4, महालक्ष्मी नगर, इंदौर 452010 (म.प्र.) रहा है, परंतु वर्तमान में आर्यमन जैन (Aryaman Jain) किया गया है, इस कारण अरिष्ट जैन के स्थान पर आर्यमन जैन पिता श्री पंकज जैन पुकारने, जानने, पहचानने हेतु सूचित किया जा रहा है. तत्सम्बन्ध में मैंने शपथ-पत्र भी निष्पादित किया है.

पंकज जैन

पिता श्री बाबूलाल जैन,

168, एम.आर. 4, महालक्ष्मी नगर,

इंदौर-452010 (म. प्र.).

(109-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Viren Mehrotra have changed my name and will be known as Virendra Nath Mehrotra (son of Late Visheshwar Nath Mehrotra) from here onwards.

Old Name :

(Viren Mehrotra)

(120-B.)

New Name :

(Virendra Nath Mehrotra)

68, Pragati Vihar, Bhicholi Mardana,

Indore M.P. 452016.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं विक्की जैन पुत्र राकेश जैन उम्र 26 वर्ष, निवासी- चितेराओली माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) का स्थायी निवासी हूँ चूँकि मेरी कक्षा प्रथम, द्वितीय एवं पंचम की मार्कशीट में विक्की अग्रवाल पुत्र श्री राकेश अग्रवाल अंकित है उपरोक्त दस्तावेजातों को छोड़कर मेरे समस्त दस्तावेजातों में विक्की जैन पुत्र श्री राकेश जैन अंकित है एवं मेरे पिता एवं मेरी माता तथा मेरे दादा एवं दादी के समस्त दस्तावेजातों में अग्रवाल अंकित है जो कि सत्य व सही है इसीलिए मैं अपने समस्त दस्तावेजातों में विक्की जैन पुत्र श्री राकेश जैन के स्थान पर विक्की अग्रवाल पुत्र श्री राकेश अग्रवाल संशोधित (परिवर्तित) कराऊँगा और मैं आज से विक्की अग्रवाल पुत्र श्री राकेश अग्रवाल के नाम से जाना जाऊँगा तदसम्बंध में समस्त आम एवं खास सूचित हों।

पुराना नाम :
(विक्की जैन)
पुत्र श्री राकेश जैन.

नया नाम :
(विक्की अग्रवाल)
पुत्र श्री राकेश अग्रवाल.

(110-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अंशुल जैन पुत्र राकेश जैन उम्र 28 वर्ष, निवासी- चितेराओली माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) का स्थायी निवासी हूँ चूँकि मेरी कक्षा द्वितीय एवं तृतीय की मार्कशीट में अंशुल अग्रवाल पुत्र श्री राकेश अग्रवाल अंकित है उपरोक्त दस्तावेजातों को छोड़कर मेरे समस्त दस्तावेजातों में अंशुल जैन पुत्र श्री राकेश जैन अंकित है एवं मेरे पिता एवं मेरी माता तथा मेरे दादा एवं दादी के समस्त दस्तावेजातों में अग्रवाल अंकित है जो कि सत्य व सही है इसीलिए मैं अपने समस्त दस्तावेजातों में अंशुल जैन पुत्र श्री राकेश जैन के स्थान पर अंशुल अग्रवाल पुत्र श्री राकेश अग्रवाल संशोधित (परिवर्तित) कराऊँगा और मैं आज से अंशुल अग्रवाल पुत्र श्री राकेश अग्रवाल के नाम से जाना जाऊँगा तदसम्बंध में समस्त आम एवं खास सूचित हो.

पुराना नाम :
(अंशुल जैन)
पुत्र श्री राकेश जैन.

नया नाम :
(अंशुल अग्रवाल)
पुत्र श्री राकेश अग्रवाल.

(111-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, हरी शुक्ला पुत्र श्री सुरेश शुक्ला सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम हरी शर्मा पुत्र श्री सुरेशचंद था जो मेरे बीमा पॉलिसी क्र. 204339209 एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं हरी शुक्ला पुत्र श्री सुरेश शुक्ला के नाम से ही जाना, पहचाना, एवं पुकारा जाता हूँ और हरी शुक्ला के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ हरी शर्मा एवं हरी शुक्ला मेरे ही नाम है. भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम हरी शर्मा लिखा गया है जोकि गलत है. अतः मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम हरी शर्मा के स्थान पर हरी शुक्ला पुत्र श्री सुरेश शुक्ला लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(हरी शर्मा)

नया नाम :
(हरी शुक्ला)
पता- हनुमान गंज शांतिनगर डबरा, ग्वालियर.

(112-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, कमल गुप्ता पुत्र श्री श्रीराम गुप्ता सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम कमलेश बाबू गुप्ता था जो मेरे बीमा पॉलिसी क्र. 202171694 एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं कमल गुप्ता पुत्र श्री श्रीराम गुप्ता के नाम से ही जाना, पहचाना, एवं पुकारा जाता हूँ और कमल गुप्ता के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ कमलेश बाबू गुप्ता एवं कमल गुप्ता मेरे ही नाम है. भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कमलेश बाबू गुप्ता लिखा गया है जोकि गलत है. अतः मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कमलेश बाबू गुप्ता के स्थान कमल गुप्ता पुत्र श्री श्रीराम गुप्ता लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(कमलेश बाबू गुप्ता)

नया नाम :
(कमल गुप्ता)
पता- वार्ड न. 13, तहसील चीनौर आंतरी,
जिला ग्वालियर.

(113-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, कमलेश साहू पुत्र श्री कामता प्रसाद साहू सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम कमल साहू था जो मेरे बीमा पॉलिसी क्र. 201248962 एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं कमलेश साहू पुत्र श्री कामता प्रसाद साहू के नाम

से ही जाना, पहचाना, एवं पुकारा जाता हूँ और कमल साहू के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ कमलेश साहू एवं कमल साहू मेरे ही नाम हैं। भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कमल साहू लिखा गया है जो कि गलत है। अतः मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कमल साहू के स्थान पर कमलेश साहू पुत्र श्री कामता प्रसाद साहू लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(कमल साहू)

(114-बी.)

नया नाम :

(कमलेश साहू)

पता- वार्ड न. 03, बड़ा बाजार पिछोर,
जिला ग्वालियर.

CHANGE OF NAME

I, Shalu Kumar Agrawal S/o Mr. Hargovind Agrawal Aged 34 Years, R/o Flat No- 3/302 Fine Enclave Kolar Road, Bhopal (M.P.) 462042 Have Decided To Change My Name To Shailesh Agrawal From Today. That I Shall Be Known By The Name Of Shailesh Agrawal From Now On For All Purposes.

Old Name :

(SHALU KUMAR AGRAWAL)

S/o Mr. Hargovind Agrawal.

(121-बी.)

New Name :

(SHAILESH AGRAWAL)

S/o Mr. Hargovind Agrawal,
R/o Flat No- 3/302 Fine Enclave,
Kolar Road, Bhopal (M.P.) 462042.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपने पुत्र का नाम ANISH RAJAWAT से बदलकर नया नाम AMAN KUSHWAH रख लिया है। मेरे पुत्र को सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में उसे उसके नये नाम से जाना एवं पहचाना जाये एवं उपयोग किया जावे एवं एलआईसी की पॉलिसी नंबर 200266508 में भी उसका नाम ANISH RAJAWAT के स्थान पर AMAN KUSHWAH अंकित कर दिया जावे।

सूचनाकर्ता-

जितेन्द्र सिंह कुशवाह,

पुत्र सुरेन्द्र सिंह कुशवाह,

पता- प्रज्ञा कॉन्वेंट विद्यालय वाली गली,
सैनिक कॉलोनी, पिंटो पार्क, मुरार, ग्वालियर.

(115-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पांचवीं, आठवीं अंकसूची एवं आधार कार्ड, वोटर कार्ड, समग्र आई.डी. में नाम संदीप शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा अंकित है जबकि मेरे पैन कार्ड रसीद में नाम संदीप झा पुत्र रामस्वरूप झा भूलवश अंकित हो गया है जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम संदीप शर्मा है। भविष्य में मुझे संदीप शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा।

पुराना नाम :

(संदीप झा)

पुत्र रामस्वरूप झा,
निवासी- विनय नगर, सेक्टर नम्बर 4,
ओम नगर, ग्वालियर.

(116-बी.)

नया नाम :

(संदीप शर्मा)

पुत्र रामस्वरूप शर्मा,
निवासी- विनय नगर, सेक्टर नम्बर 4,
ओम नगर, ग्वालियर.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सत्यम् इण्डस्ट्रीज, खेतिया फर्म, पता-बायगोर रोड़, खेतिया, जिला बड़वानी (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 03/31/01/00186/08, दिनांक 17-01-2008 जिसमें भागीदार श्री मुकेश कुमार सुभागमल जैन, श्री कमलेश कुमार जसराज जैन, श्री प्रेम कुमार शंकरलाल मंगल, श्री दीपक कुमार गोविन्दराम अग्रवाल, श्री सुनिल कुमार बसंतीलाल अग्रवाल, श्री विजय कुमार, प्रेम कुमार मंगल थे.

जिसमें से दिनांक 01-04-2019 को श्री प्रेम कुमार शंकरलाल मंगल, श्री दीपक कुमार गोविन्दराम अग्रवाल, श्री सुनिल कुमार बसन्तिलाल अग्रवाल एवं श्री विजय कुमार प्रेम कुमार मंगल अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2019 से श्रीमती कविता कमलेश कुमार जैन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही हैं। वर्तमान में फर्म में इस अनुसार निम्न भागीदार हैं। श्री मुकेश कुमार सुभागमल जैन, श्री कमलेश कुमार जसराज जैन एवं श्रीमती कविता कमलेश कुमार जैन भागीदार के रूप में कार्य का संचालन करते रहेंगे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

(117-बी.)

मेसर्स सत्यम् इण्डस्ट्रीज,
कमलेश कुमार जसराज जैन,
(पार्टनर).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स हाईवे पाईप्स जो हनुमान चौराह, गुना म.प्र. में स्थित है जिसका पंजीयन क्र. 00097/12, दिनांक 14-08-2012 जिसमें दिनांक 31-03-2020 को भागीदार हरवीर सिंह जाट एवं राजेन्द्र सिंह जाट पुत्र गण श्री हजरत सिंह जाट, निवासीगण हनुमान कॉलोनी, गुना, कॉलोनी गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 01-04-2020 को श्रीमती गिरजा जाट पत्नी श्री हरी सिंह जाट, निवासी हनुमान कॉलोनी गुना एवं अमन जाट पुत्र हरी सिंह जाट, निवासी हनुमान कॉलोनी गुना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

(118-बी.)

मेसर्स हाईवे पाईप्स,
गिरजा जाट,
(भागीदार)
हनुमान कॉलोनी, गुना (म.प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सिद्धी विनायक डेव्हलपर्स, पता-27/1, मोतीतबेला, इन्दौर म.प्र. एक भागीदारी फर्म होकर इसमें (1) अमर बजाज पिता श्री द्वारकादास बजाज, (2) श्रीमती कामना पति श्री अमर बजाज, (3) श्री विजय गोदवानी पिता श्री होलाराम जी गोदवानी, (4) श्री रमेश गोदवानी पिता श्री होलाराम जी गोदवानी, (5) दलबीर सिंह पिता श्री हरबंस सिंह छाबड़ा, (6) श्रीमती मनदीप कौर छाबड़ा पति श्री दलवीर सिंह छाबड़ा (7) जसवंत सिंह छाबड़ा पिता स्व. श्री दुलसिंह छाबड़ा इस प्रकार कुल 7 (सात) भागीदार पूर्व से हैं। उक्त फर्म के पार्टनर जसवंत सिंह छाबड़ा पिता स्व. श्री दुलसिंह छाबड़ा का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके स्थान पर उनके पुत्र (1) श्री सतबीर सिंह छाबड़ा पिता स्व. श्री जसवंत सिंह छाबड़ा, (2) विरेन्द्रजीत सिंह छाबड़ा पिता स्व. श्री जसवंत सिंह छाबड़ा को फर्म में भागीदार के रूप में जोड़ा गया है। उक्त संबंध में उपरोक्त समस्त भागीदारों द्वारा श्रीमान् नोटरी महोदय (सुभाष कुमार कुशवाह) के समक्ष उपरोक्त भागीदारी फर्म इन्दौर के संबंध में पुर्नगठन लेख का निष्पादन उपरोक्त भागीदारों द्वारा आपसी सहमति से उक्त फर्म के संदर्भ में समस्त लेन-देन व व्यवहार कर निपटारा उपरोक्त पुर्नगठन के माध्यम से कर लिया गया है।

(119-बी.)

मेसर्स सिद्धी विनायक डेव्हलपर्स,
अमर बजाज,
(पार्टनर).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जैन बैकरी फर्म जिसका पता-DH-80, स्कीम नं. 74C इन्दौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0263/20, दिनांक 05-02-2020 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री सपन जैन पिता श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, 2. श्री हेमंत मिंडा पिता श्री कांतिलाल मिंडा थे। तत्पश्चात् दिनांक 07-04-2019 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री प्रकाश पाल पिता श्री बंशी लाल पाल भागीदारी फर्म मेसर्स जैन बैकरी में सम्मिलित हो गए हैं तथा श्री हेमंत मिंडा पिता श्री कांतिलाल मिंडा भागीदारी फर्म मेसर्स जैन बैकरी से पृथक् हो गये हैं। भागीदार ने फर्म मेसर्स जैन बैकरी से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है। यह विदित हो।

(126-बी.)

तर्फे
मेसर्स जैन बैकरी,
1. सपन जैन, 2. प्रकाश पाल,
(भागीदार).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/s SNS SERVICES पता-887, Behind Sindhi Pachayat Ward No.1, Shivaji Ward Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.) प.क्र.01/01/1/00477/12, दिनांक 15-02-2012 की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन है:-

सम्मिलित होने वाले साझेदार का नाम और पूरा पता और उसके सम्मिलित होने का दिनांक	निकलने वाले साझेदार का नाम और पूरा पता और उसके साझेदार न रहने का दिनांक
Smt. Dimple Motiyani W/o Shri Jai Motiyani Aged About 33 Years, R/o 887, Shivaji Ward, Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.) (Hereinafter Called Second Party) दिनांक 25-12-2019 से भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए.	Shri Jai Motiyani S/o Late Shri Kewalram Aged About 33 years, R/o 887, Shivaji Ward, Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.) (Hereinafter Called Retiring Partner) दिनांक 25-12-2019 से भागीदारी फर्म में पृथक् हुए.

M/s SNS Services,

RAVI NIMBALKAR

(Partner)

R/o PHE Quaters, Near Sunshine Garden

Sehore Naka, Bairagarh, Bhopal (M.P.).

(122-बी.)

आम सूचना

भागीदारी फर्म अधिनियम-1932 की धारा-72 के अंतर्गत नोटिस-

1. यहकि मेसर्स प्रद्युमन कुमार जे त्रिवेदी फर्म बालाघाट जिसका पंजीयन क्रमांक-369, दिनांक 11-08-1989 है जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है.
 2. दिनांक 01-06-2020 से भागीदारी फर्म डीड के अनुसार श्री संजय वी त्रिवेदी दिनांक 01-06-2020 से भागीदारी फर्म से अलग हो गए हैं.
- और फर्म पूर्व के अनुसार ही बकाया भागीदारों के साथ कार्यरत है.

वास्ते-

मैसर्स प्रद्युमन कुमार जे. त्रिवेदी,

प्रद्युमन कुमार जे. त्रिवेदी,

(प्रोपराईटर)

बालाघाट (म.प्र.).

(125-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन क्रेशर जिसका पंजीयन क्र. 0023/15, दिनांक 23-04-2015 है जो ग्राम बामौर बदरवास, जिला शिवपुरी में स्थित है जिसमें दिनांक 25-06-2020 को भागीदार श्री गोविन्द चौहान पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्र चौहान, निवासी-लाईन नं. 01, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 25-06-2020 को (1) श्री इन्द्रजीत सिंह चौहान पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह, निवासी-न्यू कॉलोनी नं. 38/20, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.), (2) नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री धनीराम सिंह, निवासी महावीर कॉलोनी गली नं. 03, शब्द प्रताप आश्रम, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मेसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन क्रेशर,

पवन कुमार जैन,

(पार्टनर)

ग्राम बामौर बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.).

(127-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स प्रदीप एण्ड क. फर्म जिसका पता-यु जी 21, पी. यु. 4 ए 5, बी. सी. एम. हाइट्स, इन्दौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0206/17, दिनांक 31-01-2017 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री अरुण मेहता पिता स्व. श्री बादलचंद मेहता, 2. श्री अरविन्द कुमार मेहता पिता स्व. श्री जुगराज मेहता, 3. श्री नवीन कुमार मेहता पिता स्व. श्री जुगराज मेहता,

4. श्री राजेश कुमार मेहता पिता स्व. श्री बादलचंद मेहता, 5. श्री शैलश वर्मा पिता श्री रामस्वरूप वर्मा, 6. श्री अतुल कुमार तिवारी पिता श्री राजेंद्र तिवारी एवं 7. मे. मार्ग रियलटेक एल. एल. पी. तर्फे भागीदार श्री आदर्श मेहता थे. तत्पश्चात् दिनांक 17-03-2020 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री आदर्श मेहता पिता श्री अरुण मेहता भागीदारी फर्म मेसर्स प्रदीप एण्ड क. में सम्मिलित हो गए हैं. यह विदित हो.

तर्फे

मेसर्स प्रदीप एण्ड क.,

1. अरुण मेहता, 2. अरविन्द कुमार मेहता,
3. नवीन कुमार मेहता, 4. राजेश कुमार मेहता,
5. शैलश वर्मा, 6. अतुल कुमार तिवारी,
7. मे. मार्ग रियलटेक एल. एल. पी.,
8. आदर्श मेहता

(123-बी.)

(भागीदारगण).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स प्रतिक सिंडिकेट फर्म जिसका पता-यु.जी. 21, बी. सी. एम. हाइट्स बॉम्बे हॉस्पिटल के पास इन्दौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0205/17, दिनांक 31-01-2017 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री अरुण कुमार मेहता पिता स्व. श्री बादलचंद मेहता, 2. श्री अरविन्द कुमार मेहता पिता स्व. श्री जुगराज मेहता एवं 3 मे. मार्ग रियलटेक एल. एल. पी. तर्फे भागीदार श्री आदर्श मेहता थे. तत्पश्चात् दिनांक 17-03-2020 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री आदर्श मेहता पिता श्री अरुण कुमार मेहता भागीदारी फर्म मेसर्स प्रतिक सिंडिकेट में सम्मिलित हो गए हैं. यह विदित हो.

तर्फे

मेसर्स प्रतिक सिंडिकेट,

1. अरुण कुमार मेहता, 2. अरविन्द कुमार मेहता,
3. मे. मार्ग रियलटेक एल. एल. पी.,
4. आदर्श मेहता

(124-बी.)

(भागीदारगण).

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा-64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं:—

सरल क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्र./सेक्टर क्र.	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	सीहोर	सीहोर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2.	सीहोर	आष्टा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3.	सीहोर	इछावर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

1	2	3	4	5	6
4.	सीहोर	बुदनी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5.	सीहोर	नसरुल्लागंज	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6.	सीहोर	श्यामपुर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7.	सीहोर	जावर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8.	सीहोर	रेहटी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

(694)

डी. बी. पाटिल,
आयुक्त.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ वृत्त, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई, 2020

प्र. क्र. /बी-113/2020-2021.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) तथा

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 का उपनियम (1) के अन्तर्गत]

समक्ष:-रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, संत हिरदाराम नगर वृत्त, भोपाल.

क्र./635/रीडर/नजूल/2020.—चूँकि श्री मोहम्मद इमरान खान आत्मज श्री मोहम्मद फरीद खान, निवासी-मकान नम्बर 12, रोड नं. 1, शारदा नगर, नारियलखेड़ा, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है.

2. अतः एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक या अधिकर्ता के माध्यम से लिखित में दो प्रतियों में उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	“सुलेमानिया फाउंडेशन एण्ड चेरीटेबल ट्रस्ट” पता-मकान नम्बर 12, रोड नं. 1, शारदा नगर नारियलखेड़ा, भोपाल (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	11,001/-

(696)

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई, 2020

प्र. क्र.0001/बी-113/2020-2021.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) तथा

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 का उपनियम (1) के अन्तर्गत]

समक्ष:-रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, संत हिरदाराम नगर वृत्त, भोपाल.

क्र./628/रीडर/नजूल/2020.—चूँकि आवेदक श्री कैलाश आसुदानी, निवासी-14/33, साई बाबा रेसिडेंसी फेस-2, एयरपोर्ट रोड, बैरागढ़, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है.

2. अतः एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक या अधिकर्ता के माध्यम से लिखित में दो प्रतियों में उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	“स्व. श्रीमती काजल कैलाश आसुदानी ट्रस्ट” कैलाश नगर पानी की टंकी के पास, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	21,00/-

मनोज उपाध्याय,
रजिस्ट्रार.

(701)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बडवाहा

प्र.क्र.0001/बी-113(1)/2020-21.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

समक्ष:-पंजीयक लोक न्यास, बडवाहा.

चूँकि प्रार्थी श्री नरेन्द्रसिंह पिता बलदेवसिंह जी पंवार, निवासी भवानी रोड देवी काम्पलेक्स सनावद, तहसील सनावद, जिला खरगौन की ओर से “कैलाश कुटी ट्रस्ट नावघाटखेडी समिति” ग्राम नावघाटखेडी, तहसील बडवाहा, जिला खरगौन द्वारा ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1.	नगद	-	-	10,000.00
2.	अचल संपत्ति	निरंक	निरंक	निरंक

मिलिन्द ढोके,

(700)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच

प्र.क्र. 01/बी-113(4)/2020-21.

प्रारूप-पांच

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (6) देखिए]

चूँकि विश्वास पाटीदार, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार समाज ट्रस्ट, जावी द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-9(1) के अधीन कथित न्यास के संबंध में ट्रस्ट के पदाधिकारीगण एवं सदस्यों में हुए परिवर्तन को लोक न्यासों के रजिस्ट्रार में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

क्रमांक	कार्यकारिणी	परिवर्तित कार्यकारिणी
1.	सुनील कुमार पाटीदार, अध्यक्ष	अध्यक्ष-विश्वास पिता अम्बालाल

क्रमांक	कार्यकारिणी	परिवर्तित कार्यकारिणी
2.	जगदीश पाटीदार, कोषाध्यक्ष	उपाध्यक्ष-श्यामसुंदर पिता जगन्नाथ
3.	शांतीलाल पिता सालीगराम, सदस्य	सचिव-राजेश पिता मोहनलाल
4.	ब्रदीलाल पिता नंदलाल, सदस्य	कोषाध्यक्ष-भरतकुमार पिता बद्रीलाल
5.	मुकेश पिता बालुराम, सदस्य	सहसचिव-विष्णुलाल पिता बद्रीलाल

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है।

अतः मैं, एस. एल. शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2020 को उक्त अधिनियम अंतर्गत अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता : “सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार समाज ट्रस्ट”
जावी, जिला-नीमच.

दिनांक:-29-06-2020

(697)

एस. एल. शाक्य,
पंजीयक.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पिपरिया

रा.प्र.क्र. 113/बी-113/2019-20.

मौजा:-देवगाँव पिपरिया.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक पिपरिया, जिला-होशंगाबाद के समक्ष.

अध्यक्ष-नरेन्द्र कुमार जैन आ. हुकुमचन्द जैन, सचिव-संतोष कुमार जैन आ. गुलजारी लाल जैन, जाति-जैन, निवासी-व्ही. व्ही. गिरी वार्ड पिपरिया, तहसील-पिपरिया, जिला होशंगाबाद द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत किया जाकर श्री 1008 सुपाश्वर्नाथ दिगम्बर जैन मंदिर न्यास इतवारा बाजार पिपरिया, तहसील-पिपरिया, जिला होशंगाबाद के नाम से लोक न्यास का पंजीयन किया जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद् द्वारा सूचना दिया जाता है कि इस आवेदन पर 2020 के मार्च माह की 27 दिनांक पर मेरे न्यायालय में विचार लिया जाएगा। किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या जो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

श्री 1008 सुपाश्वर्नाथ दिगम्बर जैन मंदिर न्यास इतवारा बाजार पिपरिया

तहसील-पिपरिया, जिला होशंगाबाद के ग्राम पिपरिया में स्थित नजूल भूमि शीट क्रमांक 27-ए कोचवानी मोहल्ला प्लॉट नम्बर-39, रकबा 128.00 वर्गमीटर श्यामलाल जैन आ. फक्कड़लाल जैन के नाम दर्ज है।

जारी दिनांक:-25-02-2020

(698)

मदनसिंह रघुवंशी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, देपालपुर, जिला इन्दौर

देपालपुर, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019

(फार्म-चार)

क्र./1264/री-2/2019.—आवेदक श्री विजय कुमार शर्मा पिता श्री तनसुख लाल शर्मा, निवासी महात्मा गांधी मार्ग, देपालपुर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के प्रारूप-तीन, नियम-4 के अंतर्गत “गायत्री परिवार ट्रस्ट देपालपुर” के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क 05/- का चालान प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति या उक्त ट्रस्ट के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर स्वयं अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से पारित किया गया।

प्रतुल चन्द्र सिन्हा,
रजिस्ट्रार.

(695)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग (मल्हारगंज) इन्दौर

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक श्री दीपक कुसुमाकर न्यासी द्वारा “श्री खूबचंद माली स्मृति सेवा न्यास” कार्यालय पता ए-1, गुरूकृपा नगर, एरोड्रम रोड, इन्दौर का मध्यप्रदेश का पब्लिक ट्रस्ट की धारा-4(2) के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र, प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री खूबचंद माली स्मृति सेवा न्यास”.
कार्यालय पता	:	ए-1, गुरूकृपा नगर, एरोड्रम रोड, इन्दौर.
चल संपत्ति	:	21,000/- (अक्षरी रुपये इक्कीस हजार मात्र)
अचल संपत्ति	:	निरंक है.

आज दिनांक 19 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

राकेश शर्मा,
पंजीयक.

(699)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन

रा.प्र.क्र.0003/बी-113(1)/2020-21.

मण्डलेश्वर, दिनांक जुलाई, 2020

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुशीला बाई पति पन्नालाल जी वर्मा, निवासी मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर,

जिला खरगौन मध्यप्रदेश न्यासधारी एवं अध्यक्ष द्वारा “श्री सहस्रबाहु वैदिक चेरिटेबल ट्रस्ट कलाल समाज (वेदमाता मंदिर)” गिरजाघर के पास मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के तहत सार्वजनिक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है।

अतः मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 10 अगस्त, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा उक्त मामलों की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम : “श्री सहस्रबाहु वैदिक चेरिटेबल ट्रस्ट कलाल समाज (वेदमाता मंदिर)” गिरजाघर के पास मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन (म.प्र.).
2. न्यास का पता : गिरजाघर के पास मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन (म.प्र.).
3. चल सम्पत्ति : निरंक.
4. अचल सम्पत्ति : निरंक.

यह सूचना आज दिनांक 10 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई।

(702) आनंदसिंह राजावत,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, भीकनगाँव, जिला खरगौन

प्र.क्र.0001/बी-113(1)/2019-20.

भीकनगाँव, दिनांक 13 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

समक्ष:-पंजीयक लोक न्यास, भीकनगाँव.

क्र./104/री-1/2020.—चूँकि प्रार्थी/आवेदक श्री परसराम पिता तुकाराम मुछाला, निवासी भीकनगाँव, जिला खरगौन की ओर से गायत्री परिवार ट्रस्ट भीकनगाँव के नाते “गायत्री परिवार ट्रस्ट” के पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें। निर्धारित अवधि समाप्त होने पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1.	चल संपत्ति	नगद रुपये	-	5000/-
2.	अचल संपत्ति	भूमि बाजार मूल्य 45,500/- प.ह.नं. 43 भीकनगाँव खसरा नं. 150/1/9/2, 150/1/8/1() रकबा 0.023, 0.023, 0.46 हे. गायत्री चेतना केन्द्र भूमि.	-	-

(703) बी. एस. सोलंकी,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
रौनक गृह निर्माण सहकारी संस्था,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1275.—रौनक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 295, दिनांक 30 अगस्त, 2001 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(707)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
गोकुल गृह निर्माण सहकारी संस्था,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1277.—गोकुल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 391, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर

अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(708)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
अचलेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1278.—अचलेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 341, दिनांक 10 अप्रैल, 2003 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(709)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
शुभ लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1279.—शुभ लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 292, दिनांक 07 जून, 2001 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.

4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(710)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
हरिजन हाकर्स प्राथ. उपभोक्ता भंडार सहकारी संस्था
मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1280.—हरिजन हाकर्स प्राथ. उपभोक्ता भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र....., दिनांक.....संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(711)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
नामधारी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
बड़की सराय, ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1281.—नामधारी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़की सराय, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 413, दिनांक 16 अगस्त, 2011

संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(712)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
सक्षम प्राथमिक उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1282.—सक्षम प्राथमिक उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 638, दिनांक 28 जनवरी, 2017 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(713)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
पूर्वी प्राथ. उप. भंडार सहकारी समिति,
डबरा, जिला ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1283.—पूर्वी प्राथ. उप. भंडार सहकारी समिति, डबरा, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र. 645, दिनांक 28 जनवरी, 2017 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(714)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
अयोद्धा देवी महिला प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1284.—अयोद्धा देवी महिला प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 651, दिनांक 28 जनवरी, 2017 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई

का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(715)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
सिद्ध विनायक प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1285.—सिद्ध विनायक प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 663, दिनांक 28 मार्च, 2017 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं।
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है।
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है।
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(716)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
भगवान झूलेलाल प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1286.—भगवान झूलेलाल प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 676, दिनांक 28 मार्च, 2017 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं।
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है।
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है।

5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(717)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
श्री माँ पितांबर प्राथ. उप. भंडार सह. संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1287.—श्री माँ पितांबर प्राथ. उप. भंडार सह. संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 677, दिनांक 28 मार्च, 2017 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं।
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है।
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है।
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(718)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
पिंकी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1288.—पिंकी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 682, दिनांक 28 मार्च, 2017

संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित् रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(719)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जय पितांबरा प्राथ. उप. भंडार सह. संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1289.—जय पितांबरा प्राथ. उप. भंडार सह. संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 686, दिनांक 28 मार्च, 2017 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित् रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(720)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जय महावीर स्वामी प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1290.—जय महावीर स्वामी प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 488, दिनांक 28 मार्च, 2017 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(721)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
न्यू सेंट्रल साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1291.—न्यू सेंट्रल साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 631, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर

चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(722)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
श्री कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1292.—श्री कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 680, दिनांक 28 मार्च, 2017 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(723)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
गालब साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1293.—गालब साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 295, दिनांक 30 अगस्त, 2001 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.

5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(724)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
संपूर्ण महिला विकास सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1294.—संपूर्ण महिला विकास सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 693, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं।
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है।
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है।
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(725)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जिला खनिज सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1295.—जिला खनिज सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 597, दिनांक 04 अक्टूबर 2016 संस्था

की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित् रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(726)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
ग्वालियर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1296.—ग्वालियर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 620, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित् रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(727)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
चंबल किसान बीज सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1297.—चंबल किसान बीज सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 633, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(728)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
एकता बीज उत्पादक एवं कृषि आदान क्रय-विक्रय,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1298.—एकता बीज उत्पादक एवं कृषि आदान क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 635, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई

का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(729)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
परिवहन वेलफेयर सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1299.—परिवहन वेलफेयर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 486, दिनांक 12 फरवरी, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(730)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
शिक्षित हितग्राही औद्योगिक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1300.—शिक्षित हितग्राही औद्योगिक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 502, दिनांक 12 फरवरी, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.

5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(731)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जय लखेश्वरी आदिवासी हरिजन मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
हरसी, ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1301.—जय लखेश्वरी आदिवासी हरिजन मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., हरसी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 497, दिनांक 12 फरवरी, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं।
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है।
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है।
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(732)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महावीर स्वामी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या.,
डबरा, ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1302.—महावीर स्वामी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., डबरा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 506, दिनांक 12 फरवरी, 2016

संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित् रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(733)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

अंबेडकर राज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1303.—अंबेडकर राज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 503, दिनांक 12 फरवरी, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित् रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(734)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
स्वास्थ्य कर्मचारी सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1304.—स्वास्थ्य कर्मचारी सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 511, दिनांक 12 फरवरी, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(735)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
सिंह क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1305.—सिंह क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 517, दिनांक 12 फरवरी, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई

का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(736)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
कर्मचारी कल्याण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1306.—कर्मचारी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 556, दिनांक 03 जुलाई, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(737)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
किसान मित्र सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1307.—किसान मित्र सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 643, दिनांक 28 जनवरी, 2017 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.

5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(738)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
श्री राम महाकाल क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1308.—श्री राम महाकाल क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 720, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं।
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है।
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है।
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(739)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
खुशी बुनकर सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1309.—खुशी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 353, दिनांक 13 मार्च, 1975 संस्था की

कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित् रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(740)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
निर्मला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1310.—निर्मला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 696, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित् रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(741)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
समग्र एग्रो सहकारी संस्था मर्या.,
गढ़ी, सालनपुर, जिला ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1311.—समग्र एग्रो सहकारी संस्था मर्या., गढ़ी, सालनपुर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 498, दिनांक 12 फरवरी, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(742)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
ग्वालियर कृषि उत्पादन विपणन सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1312.—ग्वालियर कृषि उत्पादन विपणन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 481, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर

चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(743)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
ग्वालियर बिजली कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1313—ग्वालियर बिजली कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 496, दिनांक 12 फरवरी, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(744)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महात्मा गांधी साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1314.—महात्मा गांधी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 514, दिनांक 12 फरवरी, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.

5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(745)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
भारतीय सिक्कोरिटी साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1315.—भारतीय सिक्कोरिटी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 521, दिनांक 12 फरवरी, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं।
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है।
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है।
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(746)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जनता साख सहकारी संस्था मर्या.,
आजाद नगर, ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1316.—जनता साख सहकारी संस्था मर्या., आजाद नगर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 533, दिनांक 22 जून, 2016

संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(747)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
कोहिनूर साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1317.—कोहिनूर साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 543, दिनांक 11 जुलाई, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(748)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
कुबेर साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1318.—कुबेर साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 568, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(749)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1319.—नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 571, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई

का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(750)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
सारस्वत साख सहकारी संस्था मर्या.,
डबरा, जिला ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1320—सारस्वत साख सहकारी संस्था मर्या., डबरा, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 592, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(751)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
दि ग्वालियर सिटीजन साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1321.—दि ग्वालियर सिटीजन सहकारी संस्था मर्या. ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 628, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.

5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(752)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
दीनदयाल साख सहकारी संस्था मर्या.,
डबरा, जिला ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1322.—दीनदयाल साख सहकारी संस्था मर्या., डबरा, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 587, दिनांक 09 अक्टूबर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं।
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है।
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है।
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(753)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
दीप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1323.—दीप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 289, दिनांक 29 सितम्बर, 2001 संस्था

की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित् रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(754)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
श्री बालाजी प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1324.—श्री बालाजी प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 697, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित् रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(755)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
मिली प्राथमिक उप. भंडार सहकारी संस्था,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1325.—मिली प्राथमिक उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 482, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(756)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
प्रियम प्राथ. उप. भंडार सहकारी समिति,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1326.—प्रियम प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 481, दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई

का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(757)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

जय बजरंग प्राथ. उप. भंडार सहकारी समिति,

ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1327—जय बजरंग प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 537, दिनांक 22 जून, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(758)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

सिद्ध विनायक प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1328.—सिद्ध विनायक प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या. ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 552, दिनांक 11 जुलाई, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.

5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(759)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
काजल महिला प्राथ.उप.भंडार सहकारी समिति,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1329.—काजल महिला प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 540, दिनांक 22 जून, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं।
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है।
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है।
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(760)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
माँ शीतला प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1330.—माँ शीतला प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 566, दिनांक 08 सितम्बर, 2016

संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(761)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जय शीतला प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1331.—जय शीतला प्राथ. उपभोक्ता भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 593, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(762)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
माँ पिताम्बरा देवी प्राथ. उप भंडार सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1332.—माँ पिताम्बरा देवी प्राथ. उप भंडार सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 601, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(763)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महाकाल प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी संस्था मर्या.,
आंतरी, ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1333.—महाकाल प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी संस्था मर्या., आंतरी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 607, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर

चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(764)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

सानू प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या.,

डबरा, ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1334—सानू प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., डबरा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 610, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(765)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

तृप्ति प्राथ. उप. भंडार सहकारी समिति,

ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1335.—तृप्ति प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या. ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 624, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं.
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है.
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है.

5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(766)

ग्वालियर, दिनांक, 20 जुलाई, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
आयुषी प्राथ.उप.भंडार सहकारी संस्था मर्या.,
डबरा, जिला ग्वालियर.

क्र./परि./2020/1336.—आयुषी प्राथ. उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या., डबरा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 630, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था के संचालक मंडल सदस्य अक्रियाशील एवं दायित्वहीन हो गये हैं।
2. संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन नहीं किया जा रहा है।
3. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत संचालक मंडल की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
4. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की जा रही है।
5. संस्था द्वारा सहकारी विधान के तहत विहित रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 अगस्त, 2020 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

सी. पी. एस. भदौरिया,

उप-पंजीयक.

(767)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

संशोधित आदेश

क्र./परि./2020/528.—आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/विविध/02/2020/58, भोपाल, दिनांक 08 जून, 2020 के द्वारा जिले की प्राथमिक बुनकर एवं औद्योगिक सहकारी समितियों में परिसमापक सहायक संचालक, हाथकरघा एवं जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों तथा उनसे कनिष्ठ ग्रामोद्योग अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया है, उपरोक्त निर्देश के परिपालन में जिले की निम्न बुनकर सहकारी समितियों में श्रीमान संयुक्त आयुक्त, सहकारिता चंबल संभाग, मुरैना से अनुमोदन प्राप्त

किया जाकर पूर्व आदेश में संशोधन किया जाकर निम्न परिसमापकों के स्थान पर कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी, श्योपुर को परिसमापक नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम	वर्तमान परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	मुरैना जिला खादी ग्रामोद्योग, श्योपुर	211/19-02-1942	श्री के. आर. रेंगर सहकारी निरीक्षक.	श्री राघवेन्द्र त्यागी, कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग अधिकारी, श्योपुर.
2.	बुलन बिबर्स सहकारी संस्था मर्या., श्योपुर.	4615/19-02-1947	श्री एस. के. बाथम, उप-अंकेक्षक.	श्री राघवेन्द्र त्यागी, कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग अधिकारी, श्योपुर.
3.	शिव प्राथ. बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, बुडोरा.	476/23-06-1994	श्री आर. एल. सगर सहकारी निरीक्षक.	श्री राघवेन्द्र त्यागी, कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग अधिकारी, श्योपुर.
4.	प्राथ. बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बडोदा.	5186/20-04-1949	श्री के. आर. रेंगर सहकारी निरीक्षक.	श्री राघवेन्द्र त्यागी, कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग अधिकारी, श्योपुर.
5.	आदिवासी बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, शिवलाल का पुरा	3014/31-08-1998	श्री आर. एल. सगर सहकारी निरीक्षक.	श्री राघवेन्द्र त्यागी, कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग अधिकारी, श्योपुर.
6.	आदिवासी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., गोरस.	304/04-09-1991	श्री एस. के. बाथम, उप-अंकेक्षक.	श्री राघवेन्द्र त्यागी, कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग अधिकारी, श्योपुर.

उक्त आदेश आज दिनांक 16 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(768)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 29 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्था को परिसमापक में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चंदनपुरी, जिला खरगोन	569/11-03-1981	286/02-04-1986

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हों गई हैं अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदनुसार निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

मनोज शेल्ले,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(769)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/610.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2825, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धुमाहेड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2243, दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(690)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/611.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 737, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रत्नाखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1902, दिनांक 13 नवम्बर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. डी. जडे, उप. अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(691)

उज्जैन, दिनांक 19 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/612.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 85, दिनांक 11 जनवरी, 2018 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करडवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1898, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. के. परसाई, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(692)

उज्जैन, दिनांक 30 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/803.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 द्वारा देवनारायण बीज उत्पादक सहकारी संस्था, गिंदवानिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 2223, दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. वी. कनकने, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(770)

उज्जैन, दिनांक 30 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/804.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री गोकुल बीज उत्पादक सहकारी संस्था, थडोदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2221, दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. वी. कनकने, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(771)

उज्जैन, दिनांक 30 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/805.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3562, दिनांक 11 सितम्बर, 2015 द्वारा किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, खमरिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 2220, दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. वी. कनकने, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(772)

उज्जैन, दिनांक 30 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/812.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2825, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, सुरेल,

जिसका पंजीयन क्रमांक 2273, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(774)

उज्जैन, दिनांक 30 जून, 2020

क्र./परि./2020/807.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा, पंजीयन क्रमांक 138, दिनांक 20 दिसम्बर, 1988 को परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक 3075, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 से श्री गिरीश शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था सदस्यों की मांग पर संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु विशेष साधारण सभा दिनांक 29 जून, 2020 को आयोजित कर संस्था को पुनर्जीवित करने बाबत सर्वसम्मति से निर्णय पारित कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./743, दिनांक 08 मार्च, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा, पंजीयन क्रमांक 138, दिनांक 20 दिसम्बर, 1988 को पुनर्जीवित करता हूँ। साथ ही संस्था के कार्यसंचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री गिरीश शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(773)

उज्जैन, दिनांक 30 जून, 2020

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 36, दिनांक 29 अक्टूबर, 1963, आदेश क्रमांक/परि./743, दिनांक 08 मार्च, 2016 परिसमापन में लाया जाकर श्री प्रदीप नाहटा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु संस्था सदस्यों द्वारा दिए गए आवेदन पर सदस्यों के हित में संस्था की आमसभा श्री मुकेश जोशी वर्तमान परिसमापक द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2020 को आयोजित कर आमसभा में पुनर्जीवित करने संबंधी निर्णय सर्वसम्मति से पारित कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./743, दिनांक 08 मार्च, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 36, दिनांक 29 अक्टूबर, 1963 को पुनर्जीवित करता हूँ। साथ ही संस्था के कार्यसंचालन हेतु प्रबंध समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(775)

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

रीवा, दिनांक 30 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/841.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./446, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बधरी, पंजीयन क्रमांक 1121, दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री मनीष जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बधरी, पंजीयन क्रमांक 1121, दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(704)

रीवा, दिनांक 30 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/842.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./446, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के द्वारा विन्ध्य कृषक कल्याण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कदैला, पंजीयन क्रमांक 1217, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री मनीष जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विन्ध्य कृषक कल्याण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कदैला, पंजीयन क्रमांक 1217, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(705)

रीवा, दिनांक 30 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/843.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./446, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के द्वारा डाकतार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, रीवा, पंजीयन क्रमांक 500, दिनांक 24 नवम्बर, 1965 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री मनीष जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाकतार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, रीवा, पंजीयन क्रमांक 500, दिनांक 24 नवम्बर, 1965 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

व्ही. के. पाण्डेय,
उप-पंजीयक.

(706)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 09 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/478.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/501, दिनांक 14 अगस्त, 2013 के द्वारा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हटवा, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 944, दिनांक 19 फरवरी, 2004 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1245, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से श्री गणेश प्रसाद चन्द्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री चन्द्रवंशी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(776)

सीधी, दिनांक 09 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/479.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तितली, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1260, दिनांक 18 नवम्बर, 2010 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1245, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से श्री गणेश प्रसाद चन्द्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री चन्द्रवंशी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(777)

सीधी, दिनांक 09 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/480.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनवर्षा, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1259, दिनांक 18 नवम्बर, 2010 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1245, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से श्री गणेश प्रसाद चन्द्रवंशी,

सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री चन्द्रवंशी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(778)

सीधी, दिनांक 09 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/481.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चौफाल पवाई, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1121, दिनांक 23 मार्च, 2010 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1245, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से श्री गणेश प्रसाद चन्द्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री चन्द्रवंशी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(779)

सीधी, दिनांक 09 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/482.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरोहर, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1170, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1245, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से श्री गणेश प्रसाद चन्द्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री चन्द्रवंशी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(780)

सीधी, दिनांक 09 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/483.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1222, दिनांक 18 नवम्बर, 2010 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत

परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1245, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से श्री गणेश प्रसाद चन्द्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री चन्द्रवंशी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(781)

सीधी, दिनांक 09 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/484.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा आदर्श क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., जोगीपुर, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1013, दिनांक 28 जून, 2005 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1245, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से श्री गणेश प्रसाद चन्द्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री चन्द्रवंशी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(782)

सीधी, दिनांक 09 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/485.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., चकदही रोड, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 816, दिनांक 16 अप्रैल, 2001 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1245, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से श्री गणेश प्रसाद चन्द्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री चन्द्रवंशी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(783)

सीधी, दिनांक 09 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/486.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा ज्योति दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मवई, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 462, दिनांक 21 मार्च, 1986 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत

परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1245, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से श्री गणेश प्रसाद चन्द्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री चन्द्रवंशी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(784)

सीधी, दिनांक 09 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/487.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/1494, दिनांक 01 सितम्बर, 2006 के द्वारा महिला अल्पसंख्यक ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सीधी, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 863, दिनांक 16 जुलाई, 2002 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1245, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से श्री गणेश प्रसाद चन्द्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री चन्द्रवंशी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(785)

सीधी, दिनांक 09 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/488.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चौफाल कोठार, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1122, दिनांक 23 मार्च, 2010 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1245, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से श्री गणेश प्रसाद चन्द्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री चन्द्रवंशी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(786)

सीधी, दिनांक 09 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/489.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जोगीपुर दक्षिण, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1168, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत

परिसमापन में लाया जाकर श्री मदन सिंह उईके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री उईके द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(787)

सीधी, दिनांक 09 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/490.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोल्हूडीह, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1182, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री मदन सिंह उईके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री उईके द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(788)

सीधी, दिनांक 09 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/491.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पनवार चौहानन टोला, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1169, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री मदन सिंह उईके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री उईके द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

वी. के. पाण्डेय,
उप-रजिस्ट्रार.

(789)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई, 2020-श्रावण 9, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल, 2020

1. मौसम एवं वर्षा:—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिलीमीटर में प्रतिवेदित की गई है.

2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :- जुलाई बंद है.
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- बोनी बंद है.
4. धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- रोपाई बंद है.
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
7. अन्य असामयक घटना से छति :- कोई छति नहीं.
8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक-1, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल, 2020

क्र.	जिला	तहसील	सप्ताह में वर्षा जो हुई मि. मी. वर्षा कम/अधिक.		कृषि कार्यों, प्रारम्भिक जुलाई, बोनी पर (रोपाई) पर (धान) कटी हुई	खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण का प्रभाव.	Y;	क्षति प्रतिशत में	जिले की गत वर्ष की फसल की तुलना में चालू वर्ष की खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान फसल का क्षेत्रफल-समान या कम प्रतिशत फसल की हालत-समान, बिगड़ी या सुधरी प्रतिशत								5. सिंचाई के लिये पानी पर्याप्त या अपर्याप्त. 6 (अ) चारे की प्राप्ति. 6 (ब) पशुओं की हालत			(7) बीज की प्राप्ति कृषि सम्बन्धी. (8) मजदूरों की प्राप्ति	
1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8								9			10	
1.	मुरैना :		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		अम्बाह	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		पोरसा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		मुरैना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		जौरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		कैलारस	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
	सबलगढ़	..	..			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
2.	श्यामपुर :		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. . .	
		श्यामपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		कराहल	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		विजयपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		वीरपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		बडोदा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
3.	भिण्ड :		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		अटेर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		भिण्ड	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		गोहद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		मेहगांव	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		लहार	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		रौनमिहोना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
		गोरमी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
	मौ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		

[illegible]

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8								9			10	
8.	गुना :	गुना राघोगढ़ बमोरी आरोन चाचौड़ा मकसूदनगढ़ कुम्भराज														5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
9.	टीकमगढ़ :	निवाड़ी पृथ्वीपुर जतारा टीकमगढ़ बल्देवगढ़ पलेरा खरगापुर मोहनगढ़ लिधौरा ओरछा														5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
10.	छतरपुर :	गौरीहार नौगांव छतरपुर राजनगर बीजावर बड़ा मलहरा महाराजपुर चंदला धुवारा लवकुशनगर बक्सवाहा														5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

[illegible]

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
14.	सतना :	रघुराजनगर मझगावां रामपुर (ब.) नागौद उचेहरा अमरपाटन रामनगर मैहर कोठर बिरसिहपुर	0.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
15.	रीवा :	त्यौंथर सिरमौर मऊगंज हनुमना हुजूर गुढ़ मनगावां सेमरिया जवा नईगढ़ी रायपुर (कर्जु)	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	कम	15%	समान	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
16.	शहडोल :	सोहागपुर ब्यौहारी जयसिंहनगर बुढ़ार गोहपारू जैतपुर	5.0	..	..	..	..	तुअर	..	..	अधिक	5%	सामान्य	..	5.अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

[illegible]

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
21.	मंदसौर :	सुवासरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5.पर्याप्त	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		भानपुरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मल्हारगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गरोठ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मंदसौर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		श्यामगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सीतामऊ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		दलोदा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		धुंधड़क्का	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		संजीत	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		कयामपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
22.	नीमच :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	5%	सुधरी हुई	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		जावद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नीमच	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		जीरन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रामपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मनासा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
23.	रतलाम :		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.	
		जावरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		आलोटे	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सैलाना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बाजना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		ताल	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रावटी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पिपलोदा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रतलाम	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
24.	उज्जैन :	खाचरौद महिदपुर तराना घटिया उज्जैन बड़नगर नागदा													5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
25.	आगर :	बड़ौद सुसनेर नलखेड़ा आगर													5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. .	8. पर्याप्त.	
26.	शाजापुर:	मोमन (बड़े) शाजापुर शुजालपुर कालापीपल पोलायकलां अबंतीपुर- बड़ौदिया गुलाना													5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
27.	देवास :	सोनकच्छ टोंकखुर्द देवास बागली कन्नोद हाटपिपल्या सतवास उदयनगर खातेगांव						मूंग उड़द			कम अधिक	30% 15%	सुधरी हुई सुधरी हुई		5. .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	

[illegible]

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
32.	खरगौन :	बड़वाह महेश्वर सेगांव खरगौन गोगावां कसरावद भगवानपुरा भीकनगांव सनावद झिरन्या		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
33.	बड़वानी :	बड़वानी ठीकरी राजपुर सेंधवा पानसेमल पाटी अंजड बरला निवाली		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
34.	खण्डवा :	खण्डवा पुनासा खालवा पंधाना हरसूद		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
35.	बुरहानपुर :	बुरहानपुर खकनार नेपानगर		..	..	..	..	कपास तुअर गेहूँ	..	..	..	..	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	10% 10% 10%	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
36.	राजगढ़ :	राजगढ़ जीरापुर खिलचौपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
37.	विदिशा :	लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्यौंदा पठारी ग्यारसपुर		..	..	..	..	गोहूँ	..	..	..	..	सुधरी हुई	20%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
38.	भोपाल :	बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
39.	सीहोर :	सीहोर आष्टा इछावर नसरुल्लागंज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी		..	..	..	..	गन्ना	..	..	कम	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.

[illegible]

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
43.	हरदा :	हरदा खिड़किया सिराली रेहटगांव हंडिया टिमरनी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
44.	जबलपुर:	आधारताल कुण्डम सीहोरा पाटन मझौली शाहपुरा		..	..	..	..	गोहूँ	..	..	अधिक	10%	सुधरी हुई	5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
45.	कटनी :	बहोरीबंद ढीमरखेड़ा रीठी बड़वारा मुड़वारा (क) विजयराषवगढ़ बरही		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
46.	नरसिंहपुर :	नरसिंहपुर गोटेगांव करेली गाडरवारा तेंदूखेड़ा		..	..	..	..	गन्ना	..	..	कम	10%	..	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

[illegible]

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
51.	बालाघाट :			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लाँजी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	किरनापुर			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बैहर			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	वारासिवनी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कटंगी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लालबर्ग			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तिरोडी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	परसवाड़ा			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बिरसा			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खैरलाँजी			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(693)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.